

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प-2(13)/विविध/रातस/बैच-29/2019/ 10479

दिनांक : 07/11/19

-:आदेश:-

मण्डल के आदेश क्रमांक राम/प-2(13)रातस/बैच-29/2019/6121 दिनांक 1.07.19 द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2016 में सफल 220 अभ्यर्थियों को नायब तहसीलदार पद पर 02 वर्ष की परीक्षा पर नियुक्ति प्रदान की जाकर दिनांक 03.07.2019 को प्रातः 11.30 बजे तक आवश्यक रूप से निदेशक, आर.आर.टी.आई. अजमेर एवं प्राधानाचार्य, ए.पी.आर.टी.टॉक को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही आदेश में यह अंकित किया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 07 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। इस क्रम में निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा आदिनांक अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की है:-

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	रोल नं.	नाम अभ्यर्थी	जन्मतिथि	वर्ग
1	32	210247	OM SINGH SHEKHAWAT	29.06.1988	GE, RG
2	121	212936	ABHIMANYU GOYAT	16.10.1992	GE
3	122	210106	CHANDAN PRAKASH	04.07.1983	GE
4	734	207091	HEMANT SINGH SHEKHAWAT	01.01.1971	GE, EX
5	142	209355	JAGDISH BANGARWA	14.09.1995	BC
6	195	216234	JITENDRA KUMAR BOHRA	20.06.1986	GE, RG
7	206	208214	PAWAN KUMAR JAIN	17.02.1986	GE, RG
8	225	211729	VIJAYPAL	05.09.1988	BC
9	226	211310	RAHUL GUPTA	16.05.1990	GE
10	295	204577	ALPNA BISHNOI	12.08.1990	GE, WE
11	315	207192	ANUJA KATARA	10.03.1994	GE, WE
12	398	219978	GANESH LAL PATIDAR	29.10.1979	TSP-BC, RG
13	694	202517	HARSHAY MEENA	18.05.1985	ST, RG
14	764	210168	RAMESH CHAND MEENA	25.01.1985	ST
15	765	211584	RAM PRAKASH BHAIPRAVAT	12.08.1987	ST
16	820	210655	MAHENDRA SINGH GURJAR	14.01.1985	MB
17	827	208502	HEMENDRA KUMAR MEENA	27.07.1988	ST
18	979	219984	AVNI BAMNIA	26.11.1993	TSP-ST, WE
19	1124	207337	PINKY MEENA	03.05.1990	ST, WE
20	1446	219295	PRIYANKA CHAUHAN	03.03.1989	SC, WE, RG
21	1691	215056	SUNITA PARIHAR	02.03.1985	SC, WE, WD, RG

नियुक्ति आदेश 01.07.19 की पालना में जिन अभ्यर्थियों ने एक्सेशन चाहा उन अभ्यर्थियों को एक्सेशन स्वीकृत कर स्वीकृत एक्सेशन के पश्चात् उपस्थिति शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए आदेश में अंकन किया गया था कि एक्सेशन अवधि के पश्चात् उपस्थिति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ज्वोईन नहीं करने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश नियमानुसार निरस्त कर दिये जायेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने किसी प्रकार की सूचना मण्डल में प्रेषित नहीं की उनको मण्डल द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जाकर 15 दिवस में अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करते हुए नोटिस में अंकित किया गया कि उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

41

इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुपस्थित अभ्यर्थी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं है। अतः मण्डल के नियुक्ति समसंख्यक आदेश क्रमांक 6121 दिनांक 01.07.2019 की पालना में उक्त अभ्यर्थियों द्वारा नायब तहसीलदार के पद पर प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति नहीं दिये जाने के फलस्वरूप इनका नियुक्ति आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

आदेशानुसार


निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांक सम/ 10480 - 10495

दिनांक:- 07/11/19

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.9(2)कार्मिक/क-4/2/2018 दिनांक 30.06.2019 के क्रम में।
- 2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 3- निदेशक, आर.आर.टी.आई. अजमेर।
- 4- प्राधानाचार्य, ए.पी.आर.टी.एस. टोंक।
- 5- सम्बंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....
- 6- आदेश पंजिका/निजी पत्रावली।


(रजिस्ट्रार)



अतिरिक्त निबंधक (रातस)

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।